FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

सराहनीय कार्य थाना उत्तर दिनांक 25-09-2023 जनपद फिरोजाबाद।

थाना उत्तर, रामगढ, एसओजी व सर्विलांस टीम की बड़ी सफलता, दिनांक 22-09-2023 को थाना उत्तर क्षेत्रान्तर्गत हुई बडी लूट का खुलासा करते हुए अभियुक्ता सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से लूट के 240,4000 (चौबीस लाख चार हजार रूपये) तथा बैग में रखे तीन बिल बुक व दो चैक बुक बरामद।

- **वादी की पत्नी स्वाती व उसके मौसी के लडके वैभव एवं अभिषेक ने अपने साथियों संग मिलकर दिया था लूट की घटना को अंजाम।**
- **अभियुक्त वैभव आपराधिक प्रवृत्ती का व्यक्ति है जिसने अपनी दादी की हत्या कर शव को जला दिया था जिसके सम्बन्ध में जनपद मुराबाद में अभियोग है पंजीकृत।**
- **अभियुक्त वैभव द्वारा जेल में साथ रहे अन्य दो अभियुक्तों संग मिलकर लूट का बनाया था पूरा प्लान।**
- **लूट की घटना के पश्चात रूपयों का वृन्दावन जनपद मथुरा में किया गया था बँटवारा।**
- **पुलिस टीम की कडी मेहनत व ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना का सफल अनावरण।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद महोदय, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद के सफल पर्यवेक्षण में मु0अ0सं0 785/23 धारा 394 भादवि के अनावरण एवं अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कड़ी मेहनत लगनशीलता एवं पतारसी सुरागरसी से प्रभारी निरीक्षक श्री कमलेश सिंह थाना उत्तर मय टीम, थाना प्रभारी श्री रवि त्यागी थाना रामगढ , एसओजी प्रभारी नितिन त्यागी मय टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण हेतु गठित टीम द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व लूटे गये माल के सम्बन्ध में व्यापक तलाशी व अभियान के क्रम में अभियुक्तगण को ककरऊ कोठी चौकी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण क्रमशः 1.वैभव गर्ग पुत्र स्व0 नवीन गर्ग 2.अभिषेक गर्ग पुत्र स्व0 नवीन गर्ग निवासीगण गली नं0 06 लोहिया नगर जलेसर रोड थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद की निशानदेही पर लूटे हुए रूपये 240,4000 (चौबीस लाख पाँच हजार रूपये) तथा बैग में रखे बिल व दो चैक बुक बरामद किया गया।

घटना का विवरण- घटना दिनांक 22.09.23 समय करीब 17.15 बजे बोधाश्रम रोड तिलक नगर ट्यूबैल वाली गली में वादी के मकान में घटित हुई थी। व्यापक पूछताछ व तकनीकी सहयोग में प्राप्त हुए साक्ष्यों से घटना की कडी से कडी जोडने में सहायता मिली। घटना का सम्पूर्ण विवरण इस प्रकार है कि वादी की पत्नी स्वाती को प्रलोभन देकर वादी के मौसी के लडके वैभव व अभिषेक ने अपने साथ मिलाया तथा वैभव व अभिषेक को यह जानकारी थी कि मौसी के घर में काफी पैसा है अगर वह पैसा मेरे पास आ गया तो आर्थिक तंगी से उबर जायेगे। ज्ञात हो कि वैभव अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है उसने अपनी दादी की हत्या करके शव को जला दिया था जिस सम्बन्ध में मुरादाबाद में अभियोग पंजीकृत है। इन लोगों द्वारा एक योजना बनायी गयी थी। घटना को लूट का रूप कारित किया जाये तथा अगर बीच में घर को कोई व्यक्ति अवरोध बनता है तो उसकी हत्या कर दी जायेगी इसके लिए वैभव ने अपने साथ मुरादाबाद जेल के अन्दर बन्द

राकेश जो वर्तमान समय में जमानत पर है को इस योजना के सम्बन्ध में बताया उसने वैभव को दिल्ली बुलाया तथा एक अन्य साथी जो पश्चिम भारत के महानगर का है को इस योजना में शामिल किया तथा वह फ्लाइट से दिल्ली आया दिल्ली से वैभव उसको लेकर के फिरोजाबाद आया और अपने घर पर उसको रखा घटना के दिन वैभव तथा गैर प्रान्त से आया हुआ अपराधी तथा अभिषेक तीनो ने मिलकर घटना को अन्जाम देने के लिए राहुल के घर पहुँचे जहां से राहुल की पत्नी स्वाती ने योजना अनुसार अपनी दो बच्चियों को बाहर भेज दिया तथा इनको अन्दर बुला लिया (जिसके सम्बन्ध में इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य मौजूद है जो इसकी पुष्टि करते है) तथा (तैतालीस लाख रूपये) 43,00000 रूपये दे दिये गये तथा घटनास्थल को इस तरह बनाया गया कि वास्तविक लूट की घटना की तरह लगे। जब उपरोक्त अभि0गण नीचे आने लगे तो वादी की मां रास्ते में मिली तो उसने प्रतिरोध किया तो उसे बल प्रयोग कर गिरा दिया गया और भाग गये घटना के बाद तत्काल वृन्दावन पहुँचकर रूपये का बंटवारा किया गया तथा बाहर से आये हुए व्यक्ति व राकेश वृन्दावन वहां पर उपस्थित था तथा वाहर से आये हुए व्यक्ति को दिल्ली भेज दिया गया। घटना में प्राप्त पैसो को इनके द्वारा गुप्त स्थान पर छिपाया गया जिनको बरामद किया गया तथा उन पैसों में से चार लाख रूपये C.V ज्वैलर सदर बाजार के यहां से स्वाती ने अपने गहने छुडवाये थे और चार लाख रूपये अभिषेक व वैभव वुलट की किस्त , वीसी की किस्त तथा उधारी चुकायी थी। इनके हाथो की भी जांच की जा रही है इनके द्वारा कही और ट्रान्जैक्शन किया तो नही है। माल बरामदगी के आधार पर पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 785/23 धारा 394 भादवि में धारा 411/120बी भादवि की वृद्धि की गयी है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1-वैभव गर्ग पुत्र स्व0 नवीन गर्ग निवासी गली नं0 06 लोहिया नगर जलेसर रोड थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
2-अभिषेक गर्ग पुत्र स्व0 नवीन गर्ग निवासी गली नं0 06 लोहिया नगर जलेसर रोड थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद
3-स्वाती गुप्ता पत्नी राहुल गुप्ता निवासी मकान नं0 62 गली नं0 1 तिलक नगर जलेसर रोड थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद

<u>अभियुक्त वैभव गर्ग का आपराधिक इतिहास –</u>

1. मु0अ0सं0 785/23 धारा 394/411/120बी भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0 483/21 धारा 302 भादवि थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

<u>अभियुक्त अभिषेक गर्ग का आपराधिक इतिहास –</u>

1.मु0अ0सं0 785/23 धारा 394/411/120बी भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद

<u>अभियुक्ता स्वाती गुप्ता का आपराधिक इतिहास-</u>

1.मु0अ0सं0 785/23 धारा 394/411/120बी भादवि थाना उत्तर फिरोजाबाद

<u>अभियुक्त से बरामदगी का विवरण –</u>

लूटे हुए रूपये 240,4000 (चौबीस लाख चार हजार रूपये) तथा बैग में रखे तीन बिल बुक व दो चैक बुक।

<u>गिरफ्तार व बरामद करने वाली पुलिस टीम -</u>

1. प्र0नि0 श्री कमलेश सिंह थाना उत्तर, फिरोजाबाद
2. प्र0नि0 श्री रवि त्यागी थाना रामगढ़, फिरोजाबाद
3. उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना उत्तर, फिरोजाबाद
4. उ0नि0 श्री मनोज कुमार पौनिया, थाना उत्तर, फिरोजाबाद
5. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना उत्तर, फिरोजाबाद
6. उ0नि0 श्री अमित कुमार राय उत्तर , फिरोजाबाद

7. एचसीपी श्री जितेन्द्रपाल राजोरिया थाना उत्तर, फिरोजाबाद
8. हे0का0 722 अजीत कुमार, थाना उत्तर, फिरोजाबाद
9. का0 743 सत्यवीर सिंह , थाना उत्तर, फिरोजाबाद
10. का0 67 प्रशान्त कुमार थाना उत्तर , फिरोजाबाद
11. उ0नि0 श्री विपिन प्रभारी सर्विलांस सैल फिरोजाबाद
12. मु0आ0 326 अनिल कुमार सर्विलांस सैल फिरोजाबाद
13. मु0आ0 950 लखन वैष्णव सर्विलांस सैल फिरोजाबाद
14. उ0नि0 श्री नितिन त्यागी प्रभारी एसओजी फिरोजाबाद
15. मु0आ0 380 हरवीर कुन्तल एस0ओ0जी0 फिरोजाबाद
16. का0 118 रघुराज सिंह एस0ओ0जी0 फिरोजाबाद
17. का0 920 सन्दीप कुमार एस0ओ0जी0 फिरोजाबाद
18. का0 879 जयप्रकाश एस0ओ0जी0 फिरोजाबाद